राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 15 जनवरी, 1988

क्रमांक 1471-ज(1)-87/1847.— श्री भगत सिंह, पुत्र श्री फतेह सिंह, गांव नसडेली, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला की दिनांक 26 अक्तूबर, 1985 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और इसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री फतेह सिंह को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 831-ज-1-80/21085, दिनांक 17 जून, 1980 द्वारा मंजूर की गई थी। अब उसकी विधवा श्रीमति केसर कौर के नाम खरीफ, 1986 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत जागीर प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1140-ज-1-87/1957.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और इसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री साधु राम, पुत्र श्री बन्सी लाल, निवासी गांव सालेहपुर, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला को खरीफ 1965 से रबी, 1970 तक, 100 रुपये वार्षिक खरीफ 1970 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 18 जनवरी, 1988

क्रमांक 1467-ज(2)-87/2124.—श्री रामजी लाल, पुत्र श्री सियालु सिंह, निवासी गांव लुहाना, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 693-ज-(1)76/13301, दिनांक 5 मई, 1976 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री रामजी लाल की दिनांक 19 सितम्बर, 1986 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री रामजी लाल की विधवा श्रीमती सोबाई देवी के नाम रबी, 1987 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 19 जनवरी, 1988

क्रमांक 1469-ज-(2)-87/2312.—श्री मूल चन्द, पुत्र श्री माड़ू राम, निवासी गांव खेड़ी खुमार, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 636-ज-(2)-83/17011, दिनांक 26 मई, 1983, द्वारा 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री मूल चन्द की दिनांक 15 मार्च, 1987, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री मूल चन्द की विधवा श्रीमती कलावती के नाम खरीफ, 1987 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

ईश्वर चन्द गुप्ता,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,

राजस्व (लेखा तथा जागीर) विभाग।